प्रेस नोट **04.03.2023**

दो शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट का मोबाइलफोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.03.2023 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार दो शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर कब्जे से एक लूट की मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपना नाम क्रमशः सचिन कुमार पुत्र अमित कुमार, सरोज चौहान पुत्र बदन चौहान निवासीगण भीखमपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ बताया गया तथा बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में बताया गया कि उक्त मोबाइल हम लोग दिनांक 25.02.2023 को साइकिल सवार व्यक्ति से ब्रम्ह स्थान नासिरपुर के पास से छिना था तथा छिनैती के घटना में इसी मोटरसाइकिल होण्डा यूनिकार्न को उपयोग किये थे। इस सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 30/23 धारा 392 भादवि0 में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.03.2023 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जहनियापुर मोड़ के पास से रूस्तम पुत्र सोहनलाल निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं/बालिकाओं पर छीटाकशी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.03.2023 को थाना घोसी पुलिस एन्टी रोमियों टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नदोखर पोखरा शिव मन्दिर के पास से, राह आने जाने वाली लड़कियों/महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत/छिटाकसी करने वाला अभियुक्त विक्रम कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी बड़राव थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/23 धारा 294 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी के प्रयास में एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.03.2023 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत मिर्जाहादीपुरा में वादी आसिफ मसूद पुत्र हाजी सलाहुद्दीन द्वारा अपने घर में घुस कर मोबाइल चोरी करते हुए अभियुक्त वशीम अकरम पुत्र खैरूल बसर निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को पकड़ कर थाना स्थानीय को सूपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 29/23 धारा 379,511 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।